

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

बिहार जाति आधारित गणना, 2022-23 के अन्तर्गत एकत्र किये गये आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़ों की पुस्तिका के रूप में प्रकाशन हेतु कोटेशन संबंधी सूचना

पत्रांक-

पटना, दिनांक- ,2026

बिहार जाति आधारित गणना, 2022-23 के अन्तर्गत एकत्र किये गये आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़ों की पुस्तिका के रूप में मुद्रण कराया जाना है। उक्त पुस्तिका का 500 (पाँच सौ) प्रतियों में मुद्रण कराये जाने हेतु कोटेशन आमंत्रित की जाती है। पुस्तिका में 216 पृष्ठ होने की सम्भावना है, जिसके मुद्रण करने, उसका बंधन एवं बाईंडिंग कर कार्य स्थल पर पहुँचाने का कार्य सम्पादन करने हेतु इच्छुक कोटेशनदाताओं से कोटेशन आमंत्रित की जाती है। कोटेशन केवल निबंधित/रजिस्टर्ड डाक एवं हाथों-हाथ विभाग के प्राप्ति पटल पर दिनांक 05.06.2026 के अपराह्न 03:00 से दिनांक 08.06.2026 के अपराह्न 05:00 बजे तक स्वीकार किये जाएंगे। उक्त 'पुस्तिका' का स्वरूप निम्नवत् होगा:-

क्र०	पुस्तिका का विवरण	पृष्ठों की संख्या (लगभग)/पुस्तकों की संख्या	कागज की गुणवत्ता
1	बिहार जाति आधारित गणना, 2022-23 के अन्तर्गत एकत्र किये गये आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़ों की पुस्तिका रूप में 500 प्रतियों में मुद्रण)	216 / 500 प्रतियों में मुद्रण	कवर मल्टीकलर 300 जी०एस०एम आर्ट पेपर लेमिनेशन सहित टेक्ट पेपर मल्टीकलर 120 जी०एस०एम० आर्ट पेपर पर छपाई, साईज ए४ गूल्यू बाईंडिंग लेमिनेशन और डिजाईन सर्पोट

नोट:- 1. इसमें सभी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार विभागाध्यक्ष, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पास सुरक्षित होगा।

2. पृष्ठों की संख्या कम या अधिक होने पर मूल्य में कमी या वृद्धि हो सकती है।

इस संबंध में कोई भी अन्य जानकारी प्रशाखा पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के मोबाईल संख्या-8709424052 पर उक्त अवधि में दिनांक 05.06.2026 के अपराह्न 03:00 से दिनांक 08.06.2026 के अपराह्न 05:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

विभागीय वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/gad/CitizenHome.html> पर इच्छुक कोटेशनदाताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

नोट:-कोटेशन के साथ निम्न अभिलेख भी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है:-

- (1) विगत 01 वर्ष का आयकर रिटर्न संबंधी अभिलेख
- (2) जी०एस०टी० पंजीकरण से संबंधित अभिलेख
- (3) कार्यादेश निर्गत होने के 02 दिनों के अंदर शुद्धता की जाँच हेतु एक पुस्तिका प्रारूप उपलब्ध कराते हुए कार्यादेश निर्गत तिथि के 02 दिनों के भीतर मुद्रण का कार्य सम्पन्न करते हुए बिहार जाति आधारित गणना, 2022-23 के अन्तर्गत एकत्र किये गये आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़ों की पुस्तिका विभाग को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

ह०/-

(राज किशोर प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप संख्या- 19/लेखा- 01-02/2026 सा०प्र०.....9961/ पटना- 15, दिनांक.....5.6.26

प्रतिलिपि:- विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किरने हेतु प्रेषित

सरकार के अवर सचिव